न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी:— पवन कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या 80/2008

1. गुरमीत कौर पत्नी हजारा सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 18ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0)।
2. परविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 18ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0)।
3. कुलविन्द्र सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 18ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0)।

— वादीगण

बनाम्

1. मेघराज पुत्र झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, अनूपगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, अनूपगढ़।
3. किशोर कुमार पुत्र झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, अनूपगढ़।
4. पप्पू पुत्र झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, अनूपगढ़।
5. बाम्बी पुत्री झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, अनूपगढ़।
6. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, करणपुर तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर।
7. मन्टी देवी पुत्री झांगीराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13, करणपुर तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित—

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट —वादीगण की ओर से
2. श्री रविन्द्र बलाना एडवोकेट —प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::— दिनांक—24.01.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि— चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 5.794 हैक्टर भूमि जिसमें से 0.113 हैक्टर गैर मुमकिन है। यह भूमि पूर्व में डोडाराम व उसकी मृत्यु के बाद बनवारीलाल, ताराचंद व झांगीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में आई व बनवारीलाल ने अपनी 1/3 हिस्सा भूमि का बेचान वादीया गुरमीत कौर को व ताराचन्द ने अपनी 1/3 हिस्सा की भूमि वादी सं. 2 व 3 क्रमशः परविन्द्र सिंह व कुलविन्द्र सिंह को को बेचान कर दिया। भूमि बेचान करने से पूर्व तीनों भाईयों बनवारीलाल, ताराचन्द व झांगीराम ने आपस में घरू बंटवारा कर लिया था तथा उसी बंटवारे अनुसार बनवारी लाल व ताराचन्द ने वादीगण को कब्जा भूमि सौंप दिया। दिनांक 1.4.2004 के दिन से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्सा पर काबिज हैं। चूंकि झांगीराम की मृत्यु काफ़ी अरसा पहले हो चुकी है इसलिए अब आपस में मामला वा पानी की बारी को लेकर झगड़ा होने लगा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के पास कई बार जाकर आपस में मिलकर खाता विभाजन हेतु कहा परन्तु वे टालमटोल करते आ रहे हैं। अतः वाद डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किया जावे।

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से रविन्द्र बलाना एडवोकेट वकालतनामा पेश कर उपस्थित आए। लेकिन बार–बार अवसर दिये गए परन्तु कोई जवाब–दावा प्रतिवादी सं. 1 ने पेश नहीं किया, जिस पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 2ता7 पर सम्यक् रूप से तामील होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं होने कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.–1 गुरमीत कौर, पी.डब्ल्यू.–2 कुलविन्द्र सिंह के बयान न्यायालय में लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 बैयनामा, प्रदर्श–2 बैयनामा, प्रदर्श–3 अखबार सीमा सन्देश, प्रदर्श–4 जमाबंदी, प्रदर्श–5 नजरी नक्शा प्रदर्शित करवाए गयी। बहस अन्तिम सुनी जाकर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26/09/2012 द्वारा वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार, अनूपगढ़ को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की धारा 18, 19, 20 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वादाधीन भूमि की मौका जांच करके वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा के अनुसार भूमि के बंटवारा का प्रस्ताव अन्तिम डिक्री के लिए इस न्यायालय में में प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार, अनूपगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 5.794 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से हैः–

1. वादीगण के हिस्सा व कब्जा में चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 का किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 13 ता 14 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 17 ता 19 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.144 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.152 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.139 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.126 हैक्टर कुल 3.863 हैक्टर कमांड मय खाला है। जिसमें वादीया गुरमीत कौर पत्नी हजारा सिंह का 1.932 हैक्टर हिस्सा जो रहन पीएनबी शाखा अनूपगढ़ है तथा वादीगण परविन्द्र सिंह–कुलविन्द्र सिंह पुत्रगण हजारा सिंह का 1.931 हैक्टर हिस्सा है।
2. प्रतिवादीगण/रिकॉर्डेड टीनेन्ट मिलखराज, सुरेन्द्र कुमार, किशोरचन्द, हरीकिशन पिसरान झांगीराम के हिस्सा व कब्जा में चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 का किला नं. 7 ता 12, 20 की 1.771 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.152 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.008 हैक्टर कुल 1.931 हैक्टर कमांड भूमि है जिसमें मिलखराज पुत्र झांगीराम का 1.103 हैक्टर, सुरेन्द्र कुमार का 0.276 हैक्टर, किशोरचन्द का 0.276 हैक्टर, हरीकिशन का 0.276 हैक्टर हिस्सा है।

वकील वादी द्वारा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर एकपक्षीय बहस की गई। अपनी बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 मेघराज का रिकॉर्ड में नाम मिलखराज है तथा प्रतिवादी सं. 4 पप्पू का रिकॉर्ड में नाम हरीकिशन है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 का जवाब बंद हो चुका है जिसमें अभिभाषक न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। न्यायालय में पक्षकारान के हिस्सा व कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव हो चुका है तथा तहसीलदार अनूपगढ़ से दिनांक 16/12/2019 को रिपोर्ट दी गई है कि प्रतिवादीगण द्वारा नहर के साथ–साथ नहर के पटड़ा का रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः किलावाईज विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे। अतः

Scanned by CamScanner

तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त विभाजन प्राप्त स्वीकार किया जाकर न्यायालय के राय में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है।

—::आदेश::—

अतः तहसीलदार (भू.अभिलेख), अनूपगढ़ के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद—पत्र में वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किलावाईज विभाजन किया जाकर चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 (वर्तमान मुरब्बा नं.) का किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 6 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 13 ता 14 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर मय खाला, किला नं. 17 ता 19 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.144 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.152 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.139 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.126 हैक्टर कुल 3.863 हैक्टर कमांड मय खाला में से वादीया गुरमीत कौर पत्नी हजारा सिंह के नाम 1.932 हैक्टर एवं वादीगण परविन्द्र सिंह—कुलविन्द्र सिंह पुत्रगण हजारा सिंह का 1.931 हैक्टर दर्ज किए जाने एवं चक 18ए(ए) का मुरब्बा नं. 306/449 का किला नं. 7 ता 12, 20 की 1.771 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.152 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.008 हैक्टर कुल 1.931 हैक्टर कमांड भूमिमें से मिलखराज पुत्र झांगीराम केनाम 1.103 हैक्टर, सुरेन्द्र कुमार पुत्र झांगीराम के नाम से 0.276 हैक्टर, किशोरचन्द पुत्र झांगीराम के नाम से 0.276 हैक्टर, हरीकिशन पुत्र झांगीराम के नाम से 0.276 हैक्टर दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिया जाता है। किसी पक्षकार/टीनेन्ट के हिस्सा की भूमि बैंक में रहन होने की सूरत में उस पक्षकार/टीनेन्ट को खाता विभाजन में प्राप्त भूमि बैंक में पक्ष में रहन बदस्तूर रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner